

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 29, बुधवार, शाके 1947- अगस्त 20, 2025 <i>Sravana 29, Wednesday, Saka 1947- August 20, 2025</i>	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 11, 2025

संख्या:26/भू.अ./ज.स./2025/1256-1260:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ Construction of Cross/Head Regulator and link channel between home's canal and main drain Teh. and Distt. Bharatpur के अन्तर्गत आने वाली अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, भरतपुर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) भरतपुर होंगे।

--:विवरण:-

Construction of Cross/Head Regulator and link channel between home's canal and main drain Tehsil and Distt. Bharatpur कार्य के अन्तर्गत तहसील भरतपुर में न्यू लिंक चैनल हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा 4 की कार्यवही प्रस्ताव जिला भरतपुर

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	गांव का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	Construction of Cross/Head Regulator and link channel between home's canal and main drain Tehsil and Distt. Bharatpur	तुहिया	तुहिया	भरतपुर	भरतपुर	उपखण्ड अधिकारी भरतपुर

फार्म-2

देखे-नियम-5

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित होगा

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भरतपुर
	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	Construction of Cross/Head Regulator and link channel between home's canal and main drain Tehsil and Distt. Bharatpur के अन्तर्गत 2.3546 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत 1 परामर्श 2 सर्वेक्षण 3 सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईया भी दे।	1 परामर्श 2 सर्वेक्षण 3 सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और/या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2 (1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेचल परिणाम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ड)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकत और शून्य हो जायेगी।	हाँ
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी।	कार्यालय अधिशायी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड भरतपुर में उपलब्ध

मुकेश कुमार गुप्ता,

उप सचिव एवं प्रावै. सहा.

वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,

राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।